

एमएलए घूसकांड

ढाई करोड़ की डील कर माइनिंग इंजीनियर से बोला-ढील खरना

बीएपी विधायक ने मांगी थी माइंस में पार्टनरशिप

और फंस गया ट्रेप के जाल में

घूस को लालायित MLA बांसवाड़ा से क्वार्टर तक पहुंचा



जयपुर, 8 मई (ब्यूरो) : माइनिंग करोबारी को ब्लैकमेल कर ढाई करोड़ की डील कर बीस लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुए बांगोदोरा विधानसभा से बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल ने बड़ा टारगेट रखा था। वह माइनिंग करोबारी पर दबाव बनाकर करोबार में पार्टनर बना चाहता था। साइबर की बात नहीं बनते देख रिश्वत की डील होने पर विधायक ने करोबारी को ताबड़तोड़ फोन कर जल्दी घूस देने का दबाव बनाया था।

रिश्वत देने में थोड़ी देर हुई तो माइनिंग करोबार से जुड़ा दूसरा सवाल विधानसभा में लगाकर उसे मानसिक दबाव में ला दिया था। सोदा तय होने पर लालायित विधायक बांसवाड़ा से घूस लेने के लिए जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टर पर पहुंचा था। बीस लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार विधायक को एसीबी फिर से पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वॉरंट पर ले सकती है।

मुझे अर्जेंट 10 लाख रुपए देने हैं

कमेलिंग से तंग रविंद्र सिंह ने बीएपी विधायक के खिलाफ 4 अप्रैल को घूसखोरी की शिकायत दी थी। विधायक ने 18 अप्रैल को उसे सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे 2 बार इंटरनेट कॉल कर उसके खिलाफ विधानसभा में लगाए सवालों को ड्राप करने की बात कही। विधायक ने 22 और 23 अप्रैल को दो बार रविंद्र को कॉल किए मगर वह रिसीव नहीं कर सका। रविंद्र ने 24 अप्रैल को विधायक को फोन किया तो मुझे से तिलमिलाए विधायक ने कहा कि मुझे किसी को अर्जेंट में 10 लाख रुपए देने थे। विधायक ने रविंद्र से बांसवाड़ा आने को कहा मगर तब तक एसीबी एक्शन मोड में आ चुकी थी। एसीबी 25 अप्रैल को दोपहर 10 बजे 2 बजकर 15 मिनट पर परिव्रादी का दोस्त बनकर बांसवाड़ा पहुंची। विधायक ने रविंद्र को इंटरनेट कॉल कर पूछा कि कहाँ है...परिव्रादी ने डूंगरपुर के रास्ते में बताकर 40 मिनट में बांसवाड़ा पहुंचने की बात कही। विधायक ने दोबारा कॉल कर पूछा कि कौनसी गाड़ी से आ रहे हो...नंबर क्या है...और गाड़ी में कितने लोग हैं। रविंद्र ने अपनी गाड़ी नंबर बताते हुए कहा कि 4 लोग हैं। रविंद्र के साथ गाड़ी में एसीबी टीम के 3 जने मौजूद थे।

विचक रीड

जल संसाधन विभाग में होगी 364 जेईएन की भर्ती

जयपुर, (ब्यूरो) : जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 364 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थात् भेजी है। इसमें कनिष्ठ अभियंता डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग पद आरक्षित किए हैं। कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, विभागीय कार्यक्षमता में अभिवृद्धि होगी।

इन पदों पर भर्ती : गैर अनुसूचित क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्री) के 165 पद, कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिप्लोमा) के 97 पद, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल (डिग्री) के 4 पद और कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल (डिप्लोमा) के 10 पदों पर भर्ती होगी। अनुसूचित क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्री) के 28 पद और कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिप्लोमा) के 60 पदों पर भर्ती के लिए भी अर्थात् भिजवाई गई है।

हथियार समेत 2 बदमाश दबोचे

जयपुर, (ब्यूरो) : करधनी पुलिस ने दो आदतन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक पिस्टल और कारतूस सहित मैग्जीन बरामद की है।

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसीपी झोटवाड़ा सुरेन्द्र सिंह राणावत के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों में अतुल सिंह (19) पुत्र राकेश सिंह निवासी नृसिंह विहार नांगल जैसा बोहरा और परकिन्द्र सिंह कच्छवा (25) निवासी गांव बोरवाड़ मकराना नागौर शामिल हैं। बदमाशों के पास मिली 1 देशी पिस्टल और 3 कारतूस सहित मैग्जीन के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शांति बदमाश आदतन बदमाश है जिससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है।

जयपुर, 8 मई (ब्यूरो) : एसीबी ने एक आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर शिकंजा कसा है। टीमों ने जयपुर सहित अलग-अलग करीब 11 जगह सच ऑपरेशन चलाया है। सीबीआई का मानना है कि आईआरएस और पत्नी की संपत्ति उनकी वैध आय से करीब 156 फीसदी ज्यादा है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआई शिकंजे में आए वर्ष-2005 बैच के आईआरएस का नाम फिलहाल गोपनीय रखा है। पति-पत्नी को आरोपी बनाकर जांच कर रही सीबीआई को इनपुट मिले हैं कि उसने गैरकानूनी कमाई को जयपुर के अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद और मुंबई में प्रॉपर्टी में निवेश किया है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआई शिकंजे में आए वर्ष-2005 बैच के आईआरएस का नाम फिलहाल गोपनीय रखा है। पति-पत्नी को आरोपी बनाकर जांच कर रही सीबीआई को इनपुट मिले हैं कि उसने गैरकानूनी कमाई को जयपुर के अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद और मुंबई में प्रॉपर्टी में निवेश किया है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआई शिकंजे में आए वर्ष-2005 बैच के आईआरएस का नाम फिलहाल गोपनीय रखा है। पति-पत्नी को आरोपी बनाकर जांच कर रही सीबीआई को इनपुट मिले हैं कि उसने गैरकानूनी कमाई को जयपुर के अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद और मुंबई में प्रॉपर्टी में निवेश किया है।

'मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए'

रविंद्र और विधायक की कई बार फोन पर बात हुई। विधायक बोला डील विकी करेगा तो रविंद्र ने साफ कहा कि मुझे बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप खुद आओ ताकि इस बात को खत्म करें। अंत में विधायक पटेल ने कहा ठीक है बाद में बताता हूँ। अगले दिन 3 मई को विधायक ने रविंद्र को कॉल कर भीलवाड़ा आने का दबाव बनाया मगर रविंद्र ने बच्ची के एडमिशन को लेकर स्कूल में व्यस्तता बताकर पल्ला झाड़ा। कुछ देर बाद विकी ने कॉल कर पूछा बताओ कहाँ मिलोगे। रविंद्र ने विधायक को ही बुलाने का आग्रह किया। थोड़ी देर बाद विकी ने फिर कॉल कर बताया कि मेरी सर से बात हुई है। सर बोल रहे हैं कि वो खुद ही जयपुर आएंगे। इसी दौरान विधायक ने विकी के जरिए फोन कर भीलवाड़ा बुलाने का दबाव बनाया। जब बात नहीं बनी तो विधायक अगले दिन 4 मई की सुबह 8 से 9 बजे के बीच जयपुर में मिलने को राजी हो गया।

एसीबी के नंबर पापा के नाम से

प्लानिंग के तहत रविंद्र ने एसीबी के सुपरवीजन अधिकारी का नंबर पापा के नाम से सेव कर रखा था। उसने इसी नंबर पर एसीबी अधिकारी से विधायक पटेल की बात भी करवाई। रिश्वत रकम लेने-देने के स्थान से कुछ दूरी पर खड़े अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए। विधायक ने पैसों से भरा बैग विकी को दिया और प्लेट की ओर चल पड़ा। वहीं रविंद्र की ओर से इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने विधायक को प्लेट में ही दबोच लिया। हालांकि भनक लगते ही विकी पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया मगर विधायक के रंगे हाथ धुलवाने पर रंग गुलाबी होने से घूसखोरी की गवाही पुख्ता हो गई।



बारिश की फुहारों ने धो दी गर्मी

जयपुर, भीलवाड़ा और टोंक सहित कई इलाकों में मेघ मेहरबान

जयपुर, 8 मई (ब्यूरो) : राजधानी जयपुर सहित अलवर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और दौसा में गुरुवार को झमाझम बारिश हुई। टोंक में बारिश की वजह से कुछ खेत लबाबल हो गए। जिले में बरसात के साथ चने के आकार के ओले गिरे। टोंक में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहने लगा। यहां शाम तक 77 एमएम बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में दोपहर करीब ढाई बजे तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 11 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरह का ही मौसम जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। अगले सप्ताह से मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि तापमान 42 डिग्री के नीचे बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार एक के बाद तीन पश्चिमी विक्षोभ बनने से यह स्थिति बनी है। अगले 24 घंटे के लिए दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सर्वाधामधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिराही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में हल्की बारिश का येलो अलर्ट है।

अलवर के प्रतापगढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को करीब आधे घंटे झमाझम बारिश हुई। अजमेर में दोपहर 2 बजे बाद हल्की बरसात हुई। अजमेर के किशनगढ़ में दोपहर डेढ़ बजे 20 मिनट और शाम 4.45 बजे करीब आधे घंटे बारिश हुई। बारिश से पारा 5 डिग्री तक गिर गया। दौसा में दोपहर बाद बाद बारिश शुरू हो गई। जिले के सिकराय, महवा, बांदीकुंड इलाके में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। भीलवाड़ा में दिनभर गर्मी के बाद शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई।

आईआरएस पर सीबीआई का शिकंजा

जयपुर सहित 11 जगह सच, पत्नी को भी माना आरोपी

जयपुर, 8 मई (ब्यूरो) : सीबीआई ने एक आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर शिकंजा कसा है। टीमों ने जयपुर सहित अलग-अलग करीब 11 जगह सच ऑपरेशन चलाया है। सीबीआई का मानना है कि आईआरएस और पत्नी की संपत्ति उनकी वैध आय से करीब 156 फीसदी ज्यादा है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआई शिकंजे में आए वर्ष-2005 बैच के आईआरएस का नाम फिलहाल गोपनीय रखा है। पति-पत्नी को आरोपी बनाकर जांच कर रही सीबीआई को इनपुट मिले हैं कि उसने गैरकानूनी कमाई को जयपुर के अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद और मुंबई में प्रॉपर्टी में निवेश किया है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआई शिकंजे में आए वर्ष-2005 बैच के आईआरएस का नाम फिलहाल गोपनीय रखा है। पति-पत्नी को आरोपी बनाकर जांच कर रही सीबीआई को इनपुट मिले हैं कि उसने गैरकानूनी कमाई को जयपुर के अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद और मुंबई में प्रॉपर्टी में निवेश किया है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआई शिकंजे में आए वर्ष-2005 बैच के आईआरएस का नाम फिलहाल गोपनीय रखा है। पति-पत्नी को आरोपी बनाकर जांच कर रही सीबीआई को इनपुट मिले हैं कि उसने गैरकानूनी कमाई को जयपुर के अलावा गांधीनगर, अहमदाबाद और मुंबई में प्रॉपर्टी में निवेश किया है।

डील के बाद डील के आदेश

माइनिंग करोबारी रविंद्र सिंह उसकी करतूतों की शिकायत एसीबी से कर चुका था। विधायक ने रिश्वत की रकम 2 करोड़ 50 लाख रुपए तय करने के बाद परिव्रादी के मोबाइल से ही माइनिंग इंजीनियर को फोन लगाया था। विधायक ने कहा कि अब इस मामले में डील रखना, ये मेरे से मिल लिया है। एसीबी ने अब विधायक को माइनिंग डिपार्टमेंट में नेटवर्क और अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका का भी पता लगा रही है। विधायक घूस को लेकर इतना बेताब था कि परिव्रादी को ताबड़तोड़ फोन कर कभी जयपुर तो कभी बांसवाड़ा और भीलवाड़ा के रास्ते में घूस देने का दबाव बनाया। माना जा रहा है कि विधायक को एसीबी ट्रेप की भी चिंता सता रही थी।

चाय की होटल पर बुलाया

सवाड़ा पहुंचते ही परिव्रादी ने विधायक पटेल को फोन किया तो विधायक ने वहीं रुकने को कहा। लम्बे इंतजार के बाद उसे तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रोड पर एक चाय की होटल पर बुलाया। विधायक ने कहा कि साथियों को किसी होटल में छोड़कर अकेला ही आना, ऐसे में एसीबी टीम डूंगरपुर रोड पर रुक गई। विधायक ने यहीं ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी मगर एसीबी का प्लान उसने ट्रेप करना था, जिसके चलते परिव्रादी ने उसकी हर बात में हां कर दी। परिव्रादी ने रकम ज्यादा होने की बात कही तो विधायक ने कहा 2 करोड़ रुपए 2 किस्त में दे दो। एक करोड़ रुपए मई में चाहिए। रविंद्र ने असमर्थता जताई तो विधायक 20 लाख रुपए 1 मई तक और बाकी का पेमेंट बाद में लेने के लिए तैयार हो गया।

चचेरे भाई को वसूली में लगाया

रविंद्र ने तय तरीके के अनुसार 30 अप्रैल को विधायक को फोन किया। वह बोला भैया क्या आदेश है, विधायक ने कहा कि सुबह बात करता हूँ। अगले दिन एक मई को विधायक ने रविंद्र को दोपहर 3 बजकर 37 मिनट पर फोन कर अपने चचेरे भाई का नंबर देकर खुद कॉल करने को कहा। एसीबी प्लान के अनुसार रविंद्र ने विधायक पटेल से खुद आने की बात कही मगर वह नहीं माना। कुछ देर बाद ही रविंद्र के पास विकी नाम के व्यक्ति इंटरनेट कॉल कर जयपुर मिलाने बुलाया। ब्यूरो ट्रेप फेल होने के चलते 1 मई को पैसों का लेन-देन नहीं हुआ। विधायक के विश्वासपात्र विकी और रविंद्र की 2 मई को 22 गोदाम जयपुर में मुलाकात हुई। विधायक ने फोन कर विकी को घूस देने की बात कही। चलाक रविंद्र ने भी बार-बार विधायक को मिलने की बात कही और उन्हें खुद के सामने माइनिंग अधिकारियों को फोन करके मामला सेटल करवाने को कहा तो विधायक के राजी होने पर विकी को वापस भेज दिया।



काइम ब्रांच के 195 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक व सेवा चिन्ह दिए

जयपुर, 9 मई (ब्यूरो) : राजस्थान पुलिस की सीआईडी (अपरध शाखा) के 195 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न पदकों और सेवा चिन्हों से सम्मानित किया गया है। एसीबी काइम ब्रांच दिनेश एमएन ने गुज्जवार को सीआईडी सीबी परिसर आमेर रोड में पुलिस अलंकरण समारोह में इन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा प्रदान करने वाले 6 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को मुख्यमन्त्री सराहनीय सेवा पदक, 1 पुलिसकर्मी को राजस्थान पुलिस सेवा पदक, 8 को अतिउत्कृष्ट सेवा पदक, 9 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 27 पुलिस कर्मियों को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, 32 पुलिस कर्मियों को अति उत्तम सेवा चिन्ह एवं 112 पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण

जयपुर, 8 मई (ब्यूरो) : राज्य सरकार ने जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। जिन लोगों के फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं आने एवं आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने या अपडेट नहीं होने की स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विलंब होता था, इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने आमजन को राहत प्रदान की है।

इसके लिए शासन सचिव, अयोजना एवं पदेन महानिदेशक जन आधार प्राधिकरण ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया है कि राज्य के उपराज निवासियों की आधार में बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात् फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं आने एवं आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में जन आधार में आधार से ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों की समस्या के समाधान के लिए ऑफलाइन ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है। ऑफलाइन ई-केवाईसी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लोक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी (द्वितीय स्तर) की एएसएसओ आईडी पर ऑनलाइन ई-केवाईसी का ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने वाले व्यक्तियों की ई-केवाईसी की जा सकेगी। ऐसे उपरान्त व्यक्ति जिनके बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात् फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा था।

पुलिसकर्मी बनकर 60 हजार हड़पे बेटे को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी का भय दिखाया

जयपुर, 8 मई (ब्यूरो) : नाहरगढ़ इलाके में एक व्यक्ति से ऑनलाइन 60 हजार रुपए ठगने का मामला सामने आया है। शांति ने उससे 1 लाख 60 हजार रुपए की डिमांड की थी।

थाने के एसआई शंकरलाल के अनुसार ठगी का शिकार चांदपोल बाजार में रहता है। उसके पास 4 अप्रैल को सुबह करीब साढ़े नौ बजे फोन आया। फोनकर्ता ने खुद को सदर थाने का पुलिसकर्मी बताया। ठग ने कहा, उसके बेटे को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके साथ कुछ अन्य आरोपी भी हैं। ठग ने उससे बेटे को केस से निकालने की एवज में 1.60 लाख रुपए देने को कहा। चबराए पीड़ित ने उसके बताए नंबर पर ऑनलाइन 60 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पीड़ित ने संपर्क किया तो मोबाइल बंद मिला और थाने में इस तरह का मामला नहीं होने पर ठगी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

28 पीजी एट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू

जयपुर, 8 मई (ब्यूरो) : राजस्थान यूनिवर्सिटी के 28 पीजी सबेक्ट्स को करीब 2,400 सीट के लिए एट्रेस एग्जाम आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स को लेकर एट्रेस एग्जाम फार्म भरने शुरू हो गए हैं। 24 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। फार्म विषय प्रवेश परीक्षा को वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

प्रवेश परीक्षा कन्वीनर प्रो. राम अवतार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी किसी भी तीन विषय में प्रवेश परीक्षा से सकते हैं। पहले चरण के आवेदन पत्रों को हार्ड कॉपी विधि में जमा नहीं करानी है। पीजी प्रवेश परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। प्रो. शर्मा ने सभी छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि जिन भी छात्रों को एबीसी अडिडी नहीं बनी है, पहले वो बना लें। इसके लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना आवश्यक है।

GIC HOUSING FINANCE LTD.
CORPORATE OFFICE / HEAD OFFICE : GICHL, National Insurance Building 6th Floor, 14, Jamshedi Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400020. Tel No- 022-43041800. Email: corporate@gicfl.com Website : www.gicflindia.com
BRANCH OFFICE ADDRESS : Gic Housing Finance Ltd. Plot No. 847, PRM Tower, 10th D-Road, Sardarpura, Jodhpur-342003
Office Tel : 0291-2610902. Branch Mail Id: jodhpur@gicflindia.com Authorized Officer Name : Ganesh Singh Hada - 9001895747

E-AUCTION SALE NOTICE

E-AUCTION DATE : 10-06-2025 / Last Date for Bid Submission : 09-06-2025.
WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of GIC Housing Finance Ltd. (GICHL), under Securitization & Reconstructions of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued Demand Notice to following Borrowers/Mortgagors calling upon them to repay the outstanding due amount mentioned in the said notices. However, The Borrower/Mortgagor having failed to repay the said due amount, the undersigned has taken PHYSICAL POSSESSION of the following property in exercise of powers conferred U/s 13(4) and U/s 14 of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co Borrower/ Guarantor Name / Loan File No./ Branch Name	Property Address/ Property Area (Built up in Sq Ft)	Demand Notice Issued Date	Date of Physical Possession	Total Outstanding as on 08.05.2025 (incl. P.O.S. Interest and Other charges)	Reserve Price
1	MAMTA GUPTA RJ0480610002392	Flat no S-1, Second Floor, Plot No.31, Khasra no 250, Adestwar nagar, Sector-A, Opp. Pal Balaj Mandir, Village Pal, Jodhpur. -342001. Area of the property 895 Sq. Ft. Super Built up area 1020 sq. ft.	18.11.2022	26.03.2025	Rs. 33,39,377/-	Rs. 25,67,850/-

DATE OF E-AUCTION & TIME : 10-06-2025 at the Web-Portal (https://www.bankauctions.in) from 3.00 PM TO 04.00 PM. with unlimited extensions of 5 minutes each.
Last date of submission of Tender/Sealed Bid in the prescribed tender form along with EMD & KYC either through online mode or at the above mentioned GICHF Office at 09-06-2025 before 5.00 PM.
Further to this PUBLIC NOTICE for E-Auction Sale of the above said Assets / properties (in terms and conditions of the SARFAESI, Act 2002 and rules thereunder) GICHL invites OFFERS EITHER in sealed covers or in Online mode to purchase the said properties on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS".

TERMS & CONDITIONS OF THE AUCTION SALE ARE AS FOLLOWS:-

- E-Auction is being held on 'As is where is Basis', 'As is what is Basis', 'Whatever there is' and 'Without any Recourse Basis', and will be conducted "Online". The E-Auction will be conducted through GICHF approved Auction service provider "M/s.4 closure"
- The intending bidders should register their names at portal https://bankauctions.in/ and get their user-id and password free of cost. Prospective bidders may avail online training on E-Auction from the service provider M/s. 4closure, # 605 A, 6th Floor Maltrivanam, Ameerpet, Hyderabad - 500038, Telangana. Office Land Line No: 046-23736465; Backend team : 8142000662 / 66, Mr. Prakash - 8142000664 / 8142000725, prakash@bankauctions.in, Property enquiries, CONTACT DETAILS : GANESH SINGH HADA 9001895747
- The E-auction Sale is subject to the conditions prescribed in the SARFAESI Act/Rules 2002 and the terms and conditions mentioned hereunder/website also subject to conditions in the offer/bid documents to be submitted by the intending/participating bidders.
- Every bidder is required to have his/her own email address in order to participate in the online E-auction.
- Once Intending Bidder formally registers as a qualified tenderer before authorized officer of GICHF, will have to express his/her interest to participate through the E-auction bidding platform, by submitting document. It shall be the tenderer's/online bidder's sole responsibility to procure his/her login ID and password from the E-auction service provider.
- The aforesaid properties shall not be sold below the reserve price mentioned above.
- Intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposits (EMD) @ 10% of the above/said reserve price, by way of DD/BTGS/NEFT favouring GIC Housing Finance Ltd. Bank details are as follows: Bank Name: UNION BANK OF INDIA, A/c No: 06511010000939 - A/c Name: GIC HOUSING FINANCE LTD AUCTION A/C, Branch Name : LCB, FORT Address : UBI, 239 BACKBAY RECLAMATIO NARIMAN POINT MUMBAI MAHARASHTRA PINCODE 400021. IFSC Code - UBIN0006511.
- The said Deposits shall be adjusted in the case of successful bidder/s, otherwise refunded. The said earnest money deposit/s will not carry any interest.
- The offer/s along with the aforesaid Earnest Money Deposit (EMD) can be submitted either "online" through the portal https://bankauctions.in/ along with the EMD and scanned copy of KYC documents including PAN Card & address proof, to the service provider or through submitting sealed cover comprising bid form, EMD and KYC documents and it should reach the respective branch offices of GIC Housing Finance Ltd., mentioned above on or before EMD Submission due date.
- That, after opening the tenders, the intending bidders who have submitted their bids for not less than the reserve price will be given an opportunity at the sole discretion of the Authorized Officer to increase the bidding amount.
- The successful bidder/s shall deposit 25% of the amount of sale price, adjusting the EMD paid already, immediately on acceptance of offer by the Authorized officer in respect of the sale, failing which the earnest money deposited shall be forfeited. The balance 75% of the sale price is payable within 15 days from the date of confirmation of the sale solely at the discretion of the Authorized Officer. In case of failure to deposit the balance amount within the prescribed period, the amount deposited shall be forfeited. The Authorized Officer shall not be required to give any further notice of forfeiture to the successful bidder.
- Bidders are bound by the principle of 'caveat emptor' (Buyer Beware) and advised to conduct their own due diligence to find any encumbrances, statutory liabilities, arrears of property tax, Income Tax, Excise Duty, Labour Dues, electricity and maintenance dues etc., of the firm or Secured Assets. The Successful bidder/s shall have to bear all outgoing i.e., municipal taxes, maintenance/society charges, electricity charges, water charges, stamp duty, registration charges, (if applicable), if any and all other incidentals charges, cost including all outgoing relating to the respective properties other than the sale price...
- The successful bidder should bear the charges/fees payable on sale certificate, such as registration fees, stamp duty, taxes, or any other duties payable for getting the secured asset transferred in his/her name.
- The Sale Certificate will be issued only in the name of the successful bidder and only after receipt of the entire /sale price.
- The notice is hereby given to the Borrowers, Mortgagors and Guarantors that they can bring the intending buyer/purchaser for purchasing the properties mentioned above, as per the terms and Conditions of the EAUCTION Sale.
- Inspection of the above said properties can be given on request and as per convenience of Authorized Officer.
- The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer or any or all offers and reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason therefor.
- GICHL is not responsible for any liability whatsoever pending upon the properties as mentioned above. The property shall be auctioned on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and "without any recourse basis".
- In case the borrower/mortgagor approaches GICHL before confirmation of sale, offering contractual dues + expenses + interest @ 15 % from date of proclamation of sale + 5% of the purchase money (in case after sale which is to be paid to successful bidder) and requests for cancellation of the sale, GICHL shall accept the amount and hand over the possession to mortgagor.
- The highest bidder has to pay 25% (inclusive of earnest money deposited) of the bid amount in terms of the sale notice immediately and the balance 75% of the bid amount is payable in 15 days or such other extended period as agreed upon between the parties (AO and the successful bidder). However, Authorized Office is to be confirmed sale certificate after expiry of 30 days from the date of sale and in no case the sale is to be confirmed before expiry of 30 days from the date of sale. Only after receipt of full payment, sale to be confirmed and the sale certificate to be issued.
- Minimum Bid Increment value is Rs. 10,000/-

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

For detailed Terms and Conditions of the sale and full description of the properties please refer to the website of approved e-auction service provider M/s.4 closure and website https://bankauctions.in.

Date : 09.05.2025
Place : Jodhpur (Rajasthan)

For GIC Housing Finance Ltd.
Sd/-
Authorized Officer